(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 45/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 19 जनवरी, 2018

विषयः प्याज की निर्यात नीति– प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) अधिरोपित करना।

सा0 आ0 (अ) विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 29.12.2017 की अधिसूचना सं0 43/2015–20 के साथ पठित दिनांक 23.11.2017 की अधिसूचना सं० 39/2015–2020 के पैरा 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हुए संशोधन करती हैः

"निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं0 51 और 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात **20.02.2018 तक केवल साख पत्र (एलसी) के साथ प्रति मीट्रिक टन 700 अमरीकी डालर एफओबी के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अध्यधीन अनुमत होगा।"**

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात तत्काल प्रभाव से और **20.02.2018 तक** केवल साख पत्र (एलसी) के साथ प्रति मीट्रिक टन 700 अमरीकी डालर एफओबी (प्रति मीट्रिक टन 850 अमरीकी डालर एफओबी के बजाय) के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अध्यधीन अनुमत होगा।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम 08/पीसी–3/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)